1 आयकर : एक परिचय

Income Tax : An Introduction

आयकर से आशय ऐसे कर से है, जो करदाता की गत वर्ष (वित्तीय वर्ष) के दौरान कमाई गई कर योग्य आय (Taxable Income) पर, निर्धारित दरों से केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है।

भारत में आयकर सर्वप्रथम 1860 में, सर जेम्स विलसन द्वारा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से उत्पन्न गंभीर आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लगाया गया था। तत्पश्चात् इसमें समय–समय पर संशोधन किये जाते रहें है। आयकर अधिनियम 1886 में, कृषि आय को करमुक्त घोषित किया गया तथा आयकर अधिनियम 1922, में गत वर्ष (Previous Year) की आय पर कर का निर्धारण, अगले वर्ष (Assessment Year) में किये जाने की प्रणाली लागू हुई। वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 लागु है।

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

करदाता (Assessee)

धारा 2(7) के अनुसार. करदाता से अभिप्राय, उस व्यक्ति (Person) से है, जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि (ब्याज पर अर्थदण्ड आदि) देने का उत्तरदायी है। अर्थात् यह आवश्यक नही है कि उस व्यक्ति की अपनी स्वयं की कोई आय हो, उदाहरणार्थ – मृत व्यक्ति के आय के संबंध में उसके कानूनी उत्तराधिकारी को एवं विदेशी, पागल तथा अवयस्क बच्चे की स्थिति में, उसके प्रतिनिधित्व करने वाले को, माना हुआ करदाता (Deemed Assessee) माना जाता है।

व्यक्ति (Person)

धारा 2(31) में व्यक्ति (Person) शब्द में निम्नलिखित को शामिल किया गया है – व्यक्ति (Individual), फर्म (Firm), हिन्दु अविभाजित परिवार (HUF), व्यक्तियों का संघ (AOPs), व्यक्तियों का निकाय (BOIs), स्थानीय सत्ता (नगर–निगम, नगर पालिका आदि), कंपनी और प्रत्येक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति (जैसे – देवी–देवता, मुर्ति आदि)।

गतवर्ष (Previous Year)

धारा 3 के अनुसार 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहतें है।

करनिर्धारण वर्ष (Assessment Year)

धारा 2 (9) के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद के 12 माह की अवधि, जो 1 अप्रेल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होती है, को उस वित्तीय वर्ष के संदर्भ में, कर निर्धारण वर्ष कहतें है। अर्थात् वित्तीय वर्ष (2016–17) के दौरान अर्जित की गई आय पर, करदाता स्वयं, आयकर का निर्धारण (Self Assessment) कर, आयकर का भुगतान करने के बाद, कर निर्धारण वर्ष (2017–18) के रिटर्न दाखिल करता है। तत्पश्चात् आयकर अधिकारी द्वारा, प्रायः इसी रिटर्न के आधार पर, कर निर्धारण वर्ष (2017–18) के दौरान, कर का निर्धारण (Assessment of Tax) किया जाता है। इसलिए वर्ष (2017–18) को, वित्तीय वर्ष (2016–17) के संदर्भ में कर निर्धारण वर्ष कहते है।

सकल कुल आय (Gross Total Income)

करदाता की विभिन्न स्त्रोतों (जैसे :– वेतन, मकान संपत्ति, व्यापार पेशे से लाभ, पूंजी लाभ, तथा अन्य साधनों) से होने वाली, कर योग्य आय के योगफल को (हानियो के समायोजन एवं अन्य व्यक्तियों की जोड़ी जाने वाली आय को सम्मिलित करने के बाद), सकल कुल आय कहते हैं।

कुल आय (Total Income)

सकल कुल आय में से, चैप्टर VI A की 80 A से धारा 80U के तहत लागू कटौतियॉ घटाने के बाद, जो शेष बचता है, उसे कुल आय कहतें हैं। इसे कर योग्य आय (Taxable Income) भी कहतें है। इसी करयोग्य आय पर, निर्धारित दरों से आयकर की गणना की जाती है।